GCMS-2025/93

APP-A

Crim-I

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ...उपखण्ड अधिकारी... मुकाम ...कोटा...

...सरकार... बनाम ...किशनलाल...

... नं. ...9... सन् ...2025...

किस्म मुकदमा ...136 L.R. Act...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
10/2/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक ...25/2/25... को पेश हो।	
25/2/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नयाखेड़ा के खाता संख्या 96 में खसरा नं0 109/542 रकबा 0.01 है0 दर्ज है जबकि वर्तमान राजस्व नक्शे में लगभग 0.16 है0 दर्ज है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 16.06.2015 के अनुसार खसरा नं0 109/542 का रकबा 0.16 है0 से घटाकर 0.01 है0 दर्ज करने के आदेश प्रदान किए गए है। नामा0 सं0 665 दिनांक 24.06.2015 द्वारा उक्त माननीय न्यायालय आदेश की पालना में राजस्व जमाबन्दी में 0.01 है0 रकबा खसरा नं0 109/542 का दर्ज कर दिया गया। खसरा नं0 109/542 का शेष रकबा 0.15 है0 खसरा नं0 111 में 0.10 है0 व खसरा नं0 112 में 0.05 है0 दर्ज किया गया। जमाबन्दी में खसरा नं0 109/542 का रकबा 0.01 है0 व नक्शे में 0.16 है0 दर्ज है, तत्समय तरमीम दुरूस्ती नहीं कि गई जिस कारण राजस्व नक्शे में भिन्नता आ ही है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड की भिन्नता को सही करने के लिए तरमीम शुद्धि किया गया उचित है। उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि जमाबन्दी में खसरा नं0 109/542 का रकबा 0.01 है0 व नक्शे में 0.16 है0 दर्ज है, तत्समय तरमीम दुरूस्ती नहीं कि गई जिस कारण राजस्व नक्शे में भिन्नता आ ही है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड की भिन्नता को सही करने के लिए तरमीम शुद्धि किया गया उचित है। न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में तत्सयम तरमीम दुरूस्ती नहीं कि गई है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम नयाखेड़ा के खाता सं0 96 में खसरा नं0 109/542 रकबा 0.01 है0 दर्ज है व नक्शे में 0.16 है0 दर्ज है जो नक्शे में तरमीम करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुभार होकर दाखिल दफ्तर हो	